सुनील कुमार एवं अन्य। ।

बनाम

बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य।

(सिविल अपील संख्या 8606-8610/2015)

14 अक्टूबर, 2015

{रंजन गोगोई और एन.वी.रमणा, जे.जे.}

सेवा विधिः प्रतियोगी परीक्षा- क्या संजय सिंह मामले में न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा में उम्मीदवारों की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के संबंध में कोई सिद्धान्त या निर्देश दिया था और विशेषरूप से क्या ऐसा कोई सिद्धान्त या निर्देश अलग-अलग विषयों से जुड़ी सार्वजनिक परीक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित किए गए है जिनमें उम्मीदवारों का परीक्षण किया जाना है-

अभिनिर्धारितः संजय सिंह के मामले में इस न्यायालय को आयोग द्वारा परीक्षाओं के आयोजन, प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन और परिणामों की घोषणा के लिए विधि के किसी भी बाध्यकारी सिद्धान्त या निर्देशों या यहां तक कि दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए नहीं समझा जा सकता है। क्या अभिनिर्धारित किया, वह यह था कि स्केलिंग एक ऐसी विधि है जो आम तौर पर सभी उम्मीदवारों के लिए सामान्य विषयों के उत्तर पत्रों

के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने के लिए अनुपयुक्त है और उक्त पद्धति का अनुप्रयोग प्रश्नगत परीक्षा के परिणामस्वरूप अस्वीकार्य परिणाम आये थे- संजय सिंह में निर्णित नहीं किया कि ऐसी परीक्षा के लिए, यानी जहां प्रश्नपत्र सामान्य हो, मा◌ॅडरेशन की प्रणाली लागू की जानी चाहिए और ऐसी परीक्षा के लिए जहां प्रश्नपत्र/विषय अलग-अलग हो, स्केलिंग ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए निर्णय को मामले के तथ्यों तक ही सीमित समझा जाना चाहिए, जो एक विशेष पाठयक्रम को निर्धारित करने वाले संबंधित सेवा नियमों पर विचार करने पर दिया गया है।

न्यायिक पुनर्विलोकनः लोक सेवा आयोग- निर्णयानुसार- हस्तक्षेप का दायरा- अभिनिर्धारित- वर्तमान मामले में, दुर्भावना के अभिवाक का अभाव और आयोग द्वारा अपनाए गए सिद्धान्तों का एक समान अनुप्रयोग- न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित कियाः

1. संजय सिंह के निर्णय में, यह न्यायालय उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जिसके नियमों में पांच (05) पेपर निर्धारित थे, जो सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य थे, की नियुक्ति के लिए अभिनिर्धारित चयन की वैधता पर विचार कर रहा था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त मामले में यू.पी. लोक सेवा आयोग ने स्केलिंग पद्धति का पालन करके उम्मीदवारों को दिए गए अंको को कम कर दिया

था। इस न्यायालय ने, यह धारण करने के बाद कि चयन को नियंत्रित करने वाले न्यायिक सेवा नियम, कम किए गए अंको को ध्यान में रखने की अनुमति नहीं देते है। परीक्षा में स्केलिंग पद्धति को अपनाने की शुद्धता के आगे के प्रश्न पर विचार किया, जहां पेपर सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य और सामान्य थे। यह नहीं समझा जा सकता कि संजय सिंह मामले में इस न्यायालय ने परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में आयोग द्वारा प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन और परिणामों की घोषणा बाबत विधि का कोई बाध्यकारी सिद्धान्त या निर्देश या यहां तक कि दिशानिर्देश निर्धारित किए है, इसलिए, निर्णय को मामले के तथ्यों तक ही सीमित माना जाना चाहिए, जो एक विशेष पाठयक्रम को निर्धारित करने वाले संबंधित सेवा नियमों पर विचार करने पर दिया गया है।

{पैरा 14,20} {1080 डी-जीः 1084 सी-डीयजी}

2. एक विशेष प्रकार की परीक्षा के लिए अंको के माॅडरेशन को अपनाने और दूसरों के लिए स्केलिंग की आवश्यकता, सर्वोत्तम रूप से, राय है, जिसके अभ्यास के लिए उन प्रश्नों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता होती है, जो क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए अधिक उपयुक्त, व्यापक और विविध विषयों/विषयों को शामिल करते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन एक जटिल कार्य है जो किसी एकल प्रक्रिया को अपनाने या स्ट्रेट जैकेट फाॅर्मूले द्वारा तत्काल समाधान को चुनौती देता है। न केवल

परीक्षक की भिन्नताएं और विभिन्न विषयों में अंक देने में भिन्नता ऐसे मुद्दे है जिनका उत्तर दिया जाना चाहिए, ऐसे कई अन्य प्रश्न भी है जिनसे निपटने की आवश्यकता हो सकती है। बहु-विषयक परीक्षा प्रारूप में निर्धारित प्रश्नों की कठोरता में भिन्नता एक ऐसा अच्छा मुद्दा है जो संयोग से संजय सिंह में देखा गया था। विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय एक उम्मीदवार द्वारा एक अनुशासन या विषय का सचेत चुनाव, जिससे सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्नपत्र की उसकी पसंद सीमित हो जाती है, उत्तर पुस्तिकाओं के अंतर-विषय मूल्यांकन के मानक और विभिन्न विषयों में मूल्यांकनकर्ताओं को उचित निर्देश जारी करना विचार योग्य सभी प्रासंगिक क्षेत्र है। ऐसे सभी प्रश्नों और हो सकता है, यहां पहचाने नहीं गए कई अन्य प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है, जो प्रश्नों को उनकी प्रकृति से, लोक सेवा आयोगों सहित क्षेत्र में विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिए जाने चाहिए। यह तथ्य कि आयोग सहित ऐसे निकायों ने अतीत में गलती की है या कम जिम्मेदार तरीके से कार्य किया है, मनमाने या दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के कारण सामान्य रूप से न्यायिक शक्ति के स्वतंत्र प्रयोग का कारण नहीं हो सकता है, जिसे इसकी प्रकृति से सीमित समझा जाएगा। वर्तमान मामले में, लोक सेवा आयोग के आदेश दिनांक 26 अगस्त 2011 के उल्लंघन पर सी.डब्ल्यू.जे.सी 2011 का संख्या 3892 में विफल होने के कारण अवमानना की कार्यवाही की जा रही है। लोक सेवा आयोग ने अन्य राज्यों में अपनाई जाने वाली पद्धति का पता लगाने के लिए संघ लोक सेवा

आयोग और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों से सम्बन्धित जानकारी इकट्ठा करने के सभी प्रयास किए।

प्रश्नगत परीक्षा के विवरण पर प्राप्त जानकारी के आलोक में विस्तृत चर्चा की गई और उसके बाद 15 जनवरी, 2013 के संकल्प द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया, जिसका विवरण पहले ही निकाला जा चुका है। उपरोक्त के आलोक में और संजय सिंह मामले में निर्णय का सही अनुपात क्या पाया गया है, यह नहीं माना जा सकता है कि वर्तमान मामले में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई कार्यवाही या तो उच्च न्यायालय के निर्देशों से भटक गई है। (दिनांक 26 अगस्त, 2011 सी.डब्ल्यू.जे.सी संख्या 3892 सन् 2011) या संजय सिंह मामले में इस न्यायालय का निर्णय। इसके अलावा, दुर्भावना के किसी भी अभिवाक की अनुपस्थिति और 15 जनवरी, 2013 के अपने संकल्प द्वारा आयोग द्वारा अपनाए गए सिद्धान्तों के एक समान अनुप्रयोग से यह निष्कर्ष निकलेगा कि वर्तमान पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं होगा। उक्त संकल्प में कारणों की अनुपस्थिति इस तरह के हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहरा सकती है, जब निर्णय, सूक्ष्म परीक्षण पर, किसी भी घोर या प्रत्यक्ष अयुक्तियुक्ता का खुलासा नहीं करता है। ख्पैरा 21, 22,ख्1084 एच, 1085 ए-एच, 1086 ए-डी,

संजय सिंह और अन्य. बनाम यू.पी. लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद

एवं अन्य। (2007) 3 एससीसी 720रू 2007 (1) एससीआर 235;यूपी लोक सेवा आयोग बनाम सुभाष चंद्र दीक्षित (2003) 12 एससीसी 701रू 2003 (5) पूरक। एससीआर 210-संदर्भित।

निर्णय विधि संदर्भ:

2007 (1) एससीआर 235 संदर्भित पैरा 4

2003 (5) पूरक एससीआर 210 संदर्भित पैरा 17

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकाररू: सिविल अपील संख्या 8606-8610/ 2015

2013 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 9674, 9574, 8331, 8554, 8554 में पटना उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 03.01.2014 से और सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले में 2011 का 3892 में व 2013 का एक विविध क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2880. सी.ए. 2015 की संख्या 8611 और 8612 के साथ।

पी.पी.राव, बसवा प्रभु एस.पाटिल, सीनियर अधिवक्ता, रवि चंद्र प्रकाश, दुर्गा दत्त, पुरुषोत्तम एस. त्रिपाठी, मुकेश केआर. सिंह, स्वरेन्दु चटर्जी, एम.पी. श्रीविग्नेश, अनन्य सरकार, संजीब पनिग्रही, रंजन कुमार, ओ.पी. भढानी, राकेश कुमार सिंह, अशोक आनन्द, चिन्मय देशपांडे, अधिवक्तागण, अपीलार्थीगण की ओर से

डॉ. राजीव धवन, रत्नाकर दास, अरविंद वर्मा, सीनियर अधिवक्तागण, नवीन प्रकाश, मीतू सिंह, भूमिका चैधरी, कबीर घोष, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, वर्षा पोद्दार, एच.पी. साहू, के.के. जयपुरियार, कैसर अली, अदिति कोचर, कोपल श्रीवास्तव, अभिषेक चैधरी, अतुलेश कुमार, गौरव केआर., अनुराग ओझा, सत्य मित्रा, शेखर कुमार, राजीव नारायण, जेन्मे जॉय, मोहम्मद फुजैल खान, शेफाली जैन, अनिल कुमार टंडाले, कुलबीर सिंह मलिक, डॉ. सुशील बलवड़े, नीरज केआर. गुप्ता, अनिल कुमार,अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय निम्न द्वारा सुनाया गयाः-

रंजन गोगोई, जे.

1. अनुमति स्वीकृत

2. कार्यान्वयन/हस्तक्षेप के लिए आवेदनों को स्वीकृत किया।

3. मई-जून, 2012 में बिहार लोक सेवा आयोग (इसके बाद ष्आयोगष् के रूप में संदर्भित) द्वारा आयोजित 53 वीं से 55 वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगी परीक्षा, 2011 के परिणाम में हस्तक्षेप करने से उच्च न्यायालय का इनकार। वर्तमान अपीलों में विवाद विषय को चुनौती

4. मुख्य आधार जिस पर उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की गई थी वह यह है कि परीक्षा के परिणामों को अंतिम रूप देने में आयोग

ने उन परीक्षको द्वारा दिये गये अंकों को मॉडरेट किया था, जिन्होंने उनके अंकों को कम करने के बजाय उम्मीदवारों की उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच की थी, जो प्रक्रिया इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की जानी आवश्यक थी कि परीक्षाएं, जहां तक वैकल्पिक पेपर का संबंध है, अलग-अलग विषयों में थीं यह तर्क दिया गया है कि अपनाई गई प्रक्रिया उच्च न्यायालय के 26 अगस्त, 2011 के पहले के आदेश के विपरीत थी, जिसे सी.डब्ल्यू.जे.सी. के 2011 की संख्या 3892 के रूप में पंजीकृत और क्रमांकित कार्यवाही में पारित किया गया था। इसके बावजूद संजय सिंह और अन्य बनाम लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद एवं अन्य में इस न्यायालय द्वारा उपबंधित कानून के विपरीत है।

5. पहले तर्क की सराहना करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पिछली रिट याचिका यानी सी.डब्ल्यू.जे.सी. में पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त, 2011 के ऑपरेटिव भाग को, जो 2011 की संख्या 3892 को, यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः-

> ”16. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को परीक्षाओं के संचालन के संबंध में मौजूदा नियमों को प्रतिस्थापित करने के बाद, मॉडरेशन की प्रणाली के साथ-साथ कच्चे अंकों के स्केलिंग की प्रणाली को शामिल करने के बाद नियम बनाने की

सलाह दी जाएगी। आयोग संजय सिंह बनाम यूपीपीएससी (सुप्रा) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग और अन्य लोक सेवा आयोगों के नियम आदि से दिशानिर्देश तैयार करेगा। यदि पूरी प्रक्रिया आज से छह महीने की अवधि के भीतर पूरी हो जाती है तो यह न्यायालय आनन्दित होगा। तब तक संजय सिंह (सुप्रा) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक, उन सभी परीक्षाओं के संबंध में आयोग के मामलों का मार्गदर्शन करेंगे जहां उम्मीदवार के पास वैकल्पिक विषयों का विकल्प है, जहां तक इन दो अवधारणाओं का संबंध है।

6. यह तर्क दिया गया है कि अपनाई गई पद्धति अर्थात मा◌ॅडरेशन, उच्च न्यायालय द्वारा, अपने पहले के आदेश में जारी उपरोक्त निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है जो उन्हीं पक्षों के बीच है। लोक सेवा आयोग द्वारा इससे कोई विचलन स्वीकार्य नहीं था।

7. जहां तक संजय सिंह (सुप्रा) के फैसले का संबंध है, यह आग्रह किया जाता है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से और श्रेणीवार रूप से माना था कि मॉडरेशन की प्रणाली केवल उन मामलों पर लागू होती है जहां उम्मीदवार एक सामान्य परीक्षा देते हैं यानी जहां कोई वैकल्पिक विषय नहीं हैं और वे सभी पेपर जिनमें अभ्यर्थी समान रूप से उपस्थित होते हैं।

ऐसी स्थिति में जहां विषय अलग-अलग हैं, विद्वान वकील के अनुसार, संजय सिंह (सुप्रा) में यह माना गया है कि यह स्केलिंग पद्धति है जिसे बरकरार रखना होगा और ऐसी स्थितियों में मॉडरेशन की प्रणाली प्रासंगिक नहीं होगी। चूंकि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न विषयों/पेपरों की परीक्षा ली जाती है, इसलिए घोषित परिणाम बिगड़ जाते हैं क्योंकि इन्हें मॉडरेशन पद्धति का पालन करके अंतिम रूप दिया गया है। संक्षेप में, यह अपीलकर्ताओं की ओर से दी गई दलील है।

8. जवाब में आयोग की ओर से तर्क दिया गया है कि सिविल सेवा परीक्षा का प्रारूप, प्रारूप बिहार सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और बिहार जूनियर सिविल सेवा (भर्ती) नियमावली, 1951 के अंतर्गत आता है। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम अपेंडिक्स डी निर्धारित करता है। यह आग्रह किया जाता है कि 4 (चार) अनिवार्य पेपरों के अलावा वैकल्पिक पेपरों को भी चार श्रेणियों/समूह में विभाजित किया जाए! अर्थात अनिवार्य पेपर के अलावा समूह 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' जबकि समूह 'ए' साहित्य से संबंधित है, समूह 'बी' व्यापक रूप से मानविकी विषयों से संबंधित है जबकि समूह' ' ' ' '
के पेपर/विषयों से संबंधित नियमों के अधीन है। एक उम्मीदवार को तीन वैकल्पिक पेपर देने होते हैं, जिनमें से किसी एक समूह से दो से अधिक

पेपर नहीं हो सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजे.सी के 2011 की संख्या 3892 में 26 अगस्त, 2011 को आदेश पारित करने के बाद आयोग द्वारा की गई कार्रवाई का सूक्ष्म परीक्षण करते समय उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह आग्रह किया गया है कि उक्त आदेश दिए जाने के बाद आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग के साथ-साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य लोक सेवा आयोगों से जानकारी मांगी थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों से प्राप्त जानकारी सहित पूरे मुद्दे पर 15 जनवरी, 2013 को आयोजित आयोग की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई और एक प्रस्ताव अपनाया गया कि संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए, परिणामों में एकरूपता लाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः-

''(प) मुख्य परीक्षक अपने अधीन काम करने वाले परीक्षकों के लिए एक समन्वयक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और विभिन्न परीक्षकों द्वारा किए गए मूल्यांकन में निष्पक्षता और एकरूपता के लिए भी जिम्मेदार है।

(पप) किसी भी विषय/पेपर का मूल्यांकन शुरू होने से पहले, मुख्य परीक्षक/परीक्षको प्रश्नपत्र के सभी प्रश्नों के संबंध में मूल्यांकन में एकरूपता रखने की स्थिति के साथ परीक्षकों के साथ गहन, विस्तृत और सूक्ष्म चर्चा

करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के माध्यम से और निर्धारित उत्तर और अंकन की प्रक्रिया के संबंध में मूल्यांकन का एक स्पष्ट मानक समझाया जाएगा।

(पपप) मुख्य परीक्षक को 60% से अधिक (साठ प्रतिशत) और 30% (तीस प्रतिशत) से कम अंक प्राप्त करने वाली सभी उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच करनी होगी। मूल्यांकन की गई उत्तर-पुस्तिकाओं में से कम से कम 15% की जांच उसके द्वारा की जाएगी।

8. उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचार करने के बाद आयोग की यह राय है कि 53 से 55 संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न विषयों/पेपरों की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में माॅडरेशन की पद्धति अपनाकर मूल्यांकन में एकरूपता सुनिश्चित की गई है। अतः उक्त परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

9. इस संबंध में यह भी बताया जा सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों से प्राप्त जानकारी का सार उक्त संकल्प में दर्ज किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रभाव का है कि न तो आयोग न ही कर्नाटक या महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने अपनाया है अथवा न ही स्केलिंग प्रणाली को अपनाया है।

10. जहाँ तक सी.डब्ल्यू.जे.सी. 2011 की संख्या 3892 में उच्च न्यायालय के दिनांक 26 अगस्त 2011 के आदेश का संबंध है, यह बताया गया है कि उक्त निर्देशों के गैर-क्रियान्वयन के संबंध में उच्च न्यायालय के

समक्ष एक अवमानना याचिका दायर की गई थी जिसे 16 अक्टूबर, 2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह आग्रह किया गया है कि परीक्षा के प्रारूप को संचयी विचार पर संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों, अन्य प्रासंगिक तथ्य के साथ बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अपने संकल्प दिनांक 15 जनवरी, 2013 द्वारा एक सचेत निर्णय लिया था, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है। आयोग इस बात से भी विशेष रूप से इनकार करता है कि इस न्यायालय ने संजय सिंह (सुप्रा) मामले में विधि का कोई सिद्धांत निर्धारित किया था कि विभिन्न विषयों से जुड़ी सार्वजनिक परीक्षा में परिणामों में एकरूपता लाने के लिए स्केलिंग पद्धति को आवश्यक रूप से अपनाया जाना चाहिए। यह बताया गया है कि इस न्यायालय ने केवल यह अनुसरण किया था कि स्केलिंग उपलब्ध तरीकों में से एक है जिसे ऐसी परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, यानी जहां परीक्षा विभिन्न विषयों में होती है। यह भी बताया गया है कि संजय सिंह (सुप्रा) में स्केलिंग डाउन के सिद्धांत के व्यावहारिक अनुप्रयोग में आवश्यक कठिनाइयाँ और पूर्व शर्तें होने पर भी ध्यान दिया गया था। उक्त तथ्यों के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के लिए यह समझने का कोई कारण नहीं होगा कि संजय सिंह (सुप्रा) में कोई बाध्यकारी सिद्धांत, निर्देश या दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं जो कि आयोग को सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करते समय कार्रवाई का प्रारूप, जिसका प्रारूप विभिन्न

विषयों को निर्धारित करता है, किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम से बांधा जा सके।

11. आयोग की ओर से हमारे सामने तर्क दिया गया कि एक स्वायत्त निकाय होने के नाते आयोग अपना स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए अधिकृत और सक्षम होगा। निश्चित रूप से, न्यायिक निर्देशों और घोषणाओं का सम्मान रखते हुए और जब तक ऐसे निर्णय सदभाविक रूप से लिए जाते हैं और मनमाने नहीं होते हैं, आयोग के निर्णयों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा सीमित रहेगा। इस संबंध में यह भी बताया गया है कि, स्वीकार्य रूप से, अपीलकर्ताओं-रिट याचिकाकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि परीक्षा के संचालन और परिणामों की घोषणा में लोक सेवा आयोग के लिए कोई दुर्भावना जिम्मेदार है।

12. हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में जिस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित है वह यह है कि क्या संजय सिंह (सुप्रा) में इस न्यायालय ने कार्यप्रणाली के संबंध में कोई सिद्धांत या निर्देश दिया था, जो कि सार्वजनिक परीक्षा में उम्मीदवारों की उत्तर-पुस्तिकाओं का आंकलन करते समय आयोग द्वारा अपनाया जाना चाहिए और विशेष रूप से जबकि विभिन्न विषयों से संबंधित सार्वजनिक परीक्षाओं को नियंत्रित करने वाला कोई ऐसा सिद्धांत या निर्देश निर्धारित किया गया है जिसमें उम्मीदवारों का परीक्षण किया जाना है। वर्तमान मामले के तथ्यों में उपरोक्त प्रश्न के साथ निकटता से

जुड़ा हुआ एक अन्य संवैधानिक प्राधिकरण यानी लोक सेवा आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों का सूक्ष्म परीक्षण करने की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की सीमा है।

13. उपरोक्त मुद्दे पर विचार करने से पहले हम सीडब्ल्यूजेसी नंबर 3892 ऑफ 20911 में उच्च न्यायालय के 26 अगस्त, 2011 के आदेश के संबंध में संक्षेप में अपने मत बता सकते हैं, जिसके आधार पर आयोग की कार्रवाई दोषपूर्ण दर्शित की गई है। यहां ऊपर पुनः प्रस्तुत किये गये मुख्य निर्देशों को पढ़ने पर, हम उच्च न्यायालय के किसी भी निर्देश को खोजने में विफल रहे जो आयोग को किसी विशेष कार्रवाई के लिए बाध्य करेगा। पारित किये उक्त आदेश में पर्याप्त लचीलापन है, जिससे आयोग को अपनी कार्रवाई को संशोधित करने की अनुमति मिलती है, क्योंकि इसमें शामिल विशेष परीक्षाओं से जुड़े तथ्यों की आवश्यकता हो सकती है।

14. हमने संजय सिंह (सुप्रा) में फैसले को पढ़ा और उस पर विचार किया है। उक्त मामले में, यह न्यायालय यूपी में न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर, जिसके नियमों में पाँच (05) पेपर निर्धारित थे, जो सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य थे, की नियुक्ति के लिए अभिनिर्धारित चयन की वैधता पर विचार कर रहा था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उपरोक्त मामले में यू.पी. लोक सेवा आयोग ने स्केलिंग पद्धति का पालन करके उम्मीदवारों को दिए गए अंकों को कम कर दिया था। इस न्यायालय

ने, यह मानने के बाद कि चयन को नियंत्रित करने वाले न्यायिक सेवा नियम कम किए गए अंकों को ध्यान में रखने की अनुमति नहीं देते हैं, एक परीक्षा में स्केलिंग पद्धति को अपनाने की शुद्धता के सवाल पर आगे विचार किया जहां प्रश्नपत्र सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य और सामान्य थे। ऐसा करने पर, यह निम्न प्रकास से अनुसरण किया गयाः-

> ''पहले पैरा में निर्दिष्ट मॉडरेशन प्रक्रिया केवल परीक्षक परिवर्तनशीलता की समस्या का समाधान करेगी, जहां कई परीक्षक हैं, लेकिन उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक ही विषय के संबंध में है। मॉडरेशन कोई उत्तर नहीं है जहां समस्या कई विषयों में से मेरिट अंतर खोजने की है, यह कि, जहां उम्मीदवार अलग-अलग विषयों की परीक्षा देते हैं । विभिन्न विषयों में परस्पर मेरिट की समस्या को हल करने के लिए, सांख्यिकीय विशेषज्ञों ने स्केलिंग नामक एक पद्धति विकसित की है, जो कि स्केल किए गए स्कोर का सृजन है। स्केलिंग/स्थान, विभिन्न परीक्षणों या परीक्षण प्रपत्रों के अंकों को एक सामान्य पैमाने पर रखती है। सांख्यिकीय स्कोरिंग की पद्धति भिन्न हैं। मानक स्कोर पद्धति, रैखिक मानक स्कोर पद्धति, सामान्यीकृत

इक्विपरसेंटाइल पद्धति स्केलिंग के लिए कुछ मान्यता प्राप्त पद्धतियां हैं (पैरा 24) इसके अलावा यह भी देखा गयाः

''स्केलिंग प्रक्रिया, जिसके तहत विभिन्न विषयों में कच्चे अंकों को एक सामान्य पैमाने पर समायोजित किया जाता है, उन उम्मीदवारों के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने की एक मान्यता प्राप्त पद्धति है, जिन्होंने विभिन्न विषयों में परीक्षा दी है, उदाहरण के लिए, सिविल सेवा परीक्षा (पैरा) 25)

15. उपरोक्त के अनुसार, इस न्यायालय ने, इस विषय पर कई प्रकाशित कार्यों पर उचित विचार करने के बाद, उन पूर्व शर्तों पर ध्यान दिया, जिनके अस्तित्व या पूर्ति, अकेले, एक स्वीकार्य परिणाम सुनिश्चित कर सकती है यदि स्केलिंग पद्धति को अपनाया जाता है। जैसा कि संजय सिंह (सुप्रा) में यू.पी. लोक सेवा आयोग ने उक्त पूर्व शर्तों के अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं किया था जिसके परिणाम की घोषणा में, परिणामी प्रभाव अस्वीकार्य पाए गए। इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह बताया गया (पैरा 36 और 37) कि स्केलिंग पद्धति को अपनाने के परिणामस्वरूप असमानों के साथ समान व्यवहार किया गया है। इसके बाद पैरा 45 में इस न्यायालय ने इस प्रकार कहाः

"45. अब हम स्केलिंग के संबंध में स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं

(i) केवल कुछ स्थितियों में ही स्केलिंग तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता होती है।

(ii) सांख्यिकीय स्केलिंग की कई पद्धतियाँ हैं। कुछ सरल और कुछ जटिल प्रत्येक पद्धति या प्रणाली के अपने गुण और दोष होते हैं और इन्हें केवल कुछ शर्तों के तहत या कुछ धारणाएँ बनाकर ही अपनाया जा सकता है।

(iii) स्केलिंग केवल तभी उपयोगी और प्रभावी होगी जब प्रत्येक परीक्षक को भेजी गई उत्तर पुस्तिकाओं के बैच में अंकों का वितरण लगभग हर दूसरे परीक्षक को भेजी गई उत्तर पुस्तिकाओं के बैच में अंकों के वितरण के समान हो।

(iv) रैखिक मानक पद्धति में, कोई गारंटी नहीं है कि विभिन्न स्तरों पर अंकों की सीमा से तुलनात्मक क्षमता के उम्मीदवार तैयार होंगे ।

(v) यदि चयन प्रक्रिया में एक विश्वसनीय उपकरण बनना है तो किसी भी स्केलिंग पद्धति की निरंतर समीक्षा और मूल्यांकन और सुधार किया जाना चाहिए।

(vi) स्केलिंग से मौजूद परीक्षक से परीक्षक की सामान्य भिन्नता को

समाप्त करने में कुछ हद तक सफल हो सकती है, लेकिन परीक्षक को ''बाज़-कबूतर'' प्रभाव से उत्पन्न होने वाली परिवर्तनशीलता (सख्त/उदार) मूल्यांकन)'' से हल करने का समाधान नहीं है।

16. इसके अतिरिक्त, पैरा 46 में, इस न्यायालय ने पाया कि उसके समक्ष रखी गई सामग्रियों से यह खुलासा नहीं हुआ कि आयोग या किसी विशेषज्ञ निकाय ने स्केलिंग की प्रणाली शुरू करने का निर्णय लेने के लिए उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखा था। वास्तव में, उक्त पैराग्राफ में इस न्यायालय ने निम्न प्रकार से यह पाया थाः-

> ''हमने प्रयुक्त स्केलिंग प्रणाली से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों/असमानताओं को पहले ही प्रदर्शित कर दिया है। यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों की एक अन्य समिति नियुक्त करके आयोग को मूल्यांकन की एक उपयुक्त प्रणाली की पहचान करनी होगी। जब तक ऐसी नई प्रणाली लागू नहीं हो जाती, आयोग उसका पालन कर सकता है। उपयुक्त संशोधनों के साथ उपरोक्त पैरा 23 में मॉडरेशन प्रणाली निर्धारित की गई है।'' (पैरा 46)

17. संजय सिंह (सुप्रा) में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय स्केलिंग

पद्धति को मंजूरी दे रहा है। यू.पी. लोक सेवा आयोग बनाम सुभाष चंद्र दीक्षित में इसी तरह की जांच पर भी नजर पड़ी। संजय सिंह (सुप्रा) निर्णय के पैराग्राफ 48 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सुभाष चंद्र दीक्षित (सुप्रा) में अपनाई गई स्केलिंग प्रणाली को इस न्यायालय की मंजूरी मिली थी क्योंकि इसे एक गहन विशेषज्ञ अध्ययन के बाद आयोग द्वारा अपनाया गया था। इस न्यायालय द्वारा स्केलिंग पद्धति को दी गई मंजूरी, सुभाष चंद्र दीक्षित (सुप्रा) के मामले के तथ्यों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

18. अंत में, संजय सिंह (सुप्रा) में रिपोर्ट के पैराग्राफ 51 में न्यायालय ने आयोग की ओर से की गई दलील पर ध्यान दिया कि यह किसी विशेष प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध नहीं है और यदि वर्तमान में सिस्टम दोषपूर्ण पाया गया है तो ''एक अलग या बेहतर प्रणाली अपनाएगा।''

19. संजय सिंह (सुप्रा) मामले में न्यायालय यूपी न्यायिक सेवा नियमावली के तहत स्केलिंग पद्धति अपनाकर लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणामों की घोषणा की वैधता पर विचार कर रहा था। इस न्यायालय के अनुसार, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि स्केलिंग प्रणाली एक परीक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है जिसमें उम्मीदवारों को विभिन्न विषयों में पेपर लिखने की आवश्यकता होती है जबकि परीक्षा में सभी पेपर के प्रश्न सामान्य और अनिवार्य थे। उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, इस न्यायालय को आवश्यक रूप से स्केलिंग विधि में

निहित विस्तृत मापदंडों का विश्लेषण करना था और फिर स्केलिंग विधि के अनुप्रयोग पर परिणामों को दर्ज करने से पहले प्रश्नगत परीक्षा में विधि को अपनाने के प्रभाव के संबंध में अपने निष्कर्ष पर पहुंचना था। इस संबंध में विवरण पहले ही देखा जा चुका है। (पैरा 45 और 46)

20. संजय सिंह (सुप्रा) में संपूर्ण चर्चा और निष्कर्ष एक परीक्षा के लिए स्केलिंग प्रणाली की उपयुक्तता के प्रश्न के संबंध में थे जहां प्रश्न पत्र सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य और सामान्य थे। स्केलिंग पद्धति की कमियां और अभाव जैसा कि ऊपर बताई गई और उपरोक्त संदर्भ में निकाली गई थीं, लेकिन क्या संजय सिंह (सुप्रा) ने किसी परीक्षा में स्केलिंग पद्धति को अपनाने के संबंध में विधि की कोई बाध्यकारी और अनम्य आवश्यकता बताई है जहां उम्मीदवारों को वर्तमान परीक्षा की तरह विभिन्न विषयों में परीक्षण किया जाता है? उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकाले गए और राय व्यक्त की गई, यह समझना मुश्किल है कि संजय सिंह (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय को कैसे समझा जा सकता था कि उसने परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में आयोग द्वारा प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन और परिणामों की घोषणा के विधि के बाध्यकारी सिद्धांत या निर्देशों या दिशानिर्देश को निर्धारित किया गया है। हमारे विचार में, यह माना गया था कि स्केलिंग एक ऐसी पद्धति है जो आम तौर पर सभी उम्मीदवारों के लिए सामान्य विषयों की उत्तर

पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने के लिए अनुपयुक्त है। उक्त पद्धति का अनुप्रयोग प्रश्नगत परीक्षा के परिणामस्वरूप अस्वीकार्य परिणाम आये थे। संजय सिंह (सुप्रा) ने यह तय नहीं किया कि ऐसी परीक्षा में, यानी जहां पेपर सामान्य हैं, वहां मॉडरेशन की प्रणाली लागू की जानी चाहिए और ऐसी परीक्षा में जहां पेपर/विषय अलग-अलग हैं, स्केलिंग ही एकमात्र उपलब्ध विकल्प है। जैसा कि अपीलकर्ताओं की ओर से हमारे समक्ष प्रचारित किया गया है, हम संजय सिंह (सुप्रा) में उपरोक्त प्रभाव के लिए विधि या मिसाल या सिद्धांत की कोई घोषणा नहीं पा सके हैं। इसलिए, निर्णय को मामले के तथ्यों तक ही सीमित माना जाना चाहिए, जो एक विशेष पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाले प्रासंगिक सेवा नियमों पर विचार करने पर दिया गया है।

21. हम यह नहीं समझ सकते कि विधि एक विशेष प्रकार की परीक्षा में मा ॅडरेशन अपनाने और दूसरों पर स्केलिंग की आवश्यकता थोप रहा है। दोनों ही, सर्वा ेत्तम रूप से, राय हैं, जिनके लिए ऐसे प्रश्नों पर गहन विचार की आवश्यकता है । ऐसे प्रश्न जो क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। व्यापक और विविध विषयों/अनुसंधानों से जुड़ी सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन एक जटिल कार्य है जो किसी एकल प्रक्रिया को अपनाने या स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूले द्वारा तत्काल समाधान को चुनौती देता है। न केवल परीक्षक की भिन्नताएं और विभिन्न विषयों में अंक देने में

भिन्नता ऐसे मुद्दे हैं जिनका उत्तर दिया जाना चाहिए, ऐसे कई अन्य प्रश्न भी हैं जिनसे निपटने की आवश्यकता हो सकती है। बहु-विषयक परीक्षा प्रारूप में निर्धारित प्रश्नों की कठोरता में भिन्नता एक ऐसा अच्छा मुद्दा है जिसे संयोग से संजय सिंह (सुप्रा) में देखा गया था। विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय एक उम्मीदवार द्वारा एक अनुशासन या विषय का सचेत चुनाव, जिससे सार्वजनिक परीक्षा में पेपर की उसकी पसंद सीमित हो जाती है; उत्तर पुस्तिकाओं के अंतर-विषय मूल्यांकन के मानक और विभिन्न विषयों में मूल्यांकनकर्ताओं को उचित निर्देश जारी करना विचार के सभी प्रासंगिक क्षेत्र हैं। ऐसे सभी प्रश्नों और, संभवतः, यहां पहचाने नहीं गए कई अन्य प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है, जो प्रश्न, उनकी प्रकृति से, लोक सेवा आयोगों सहित क्षेत्र के विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिए जाने चाहिए। यह तथ्य कि आयोग सहित ऐसे निकायों ने अतीत में गलती की है या कम जिम्मेदार तरीके से कार्य किया है, न्यायिक शक्ति के स्वतंत्र प्रयोग का कारण नहीं हो सकता है, जिसे सामान्य रूप से मनमाने या शक्ति के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग की इसकी प्रकृति से सीमित समझा जाएगा।

22. वर्तमान मामले में, हमने देखा है कि सी.डब्ल्यू.जे.सी. 2011 का छव्.3892 के विफल होने पर 26 अगस्त, 2011 के आदेश के उल्लंघन के लिए लोक सेवा आयोग के खिलाफ अवमानना कार्यवाही चल रही है। हमने यह भी देखा है कि लोक सेवा आयोग ने अन्य राज्यों में अपनाई जाने

वाली पद्धति का पता लगाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों से प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने के सभी प्रयास किए। प्राप्त जानकारी के आलोक में प्रश्नगत परीक्षा के विवरण पर विस्तृत चर्चा की गई और उसके बाद 15 जनवरी, 2013 के संकल्प द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया, जिसका विवरण पहले ही निकाला जा चुका है। उपरोक्त के आलोक में और संजय सिंह (सुप्रा) के मामले में निर्णय का सही अनुपात क्या पाया गया है, हम यह नहीं मान सकते कि वर्तमान मामले में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई कार्रवाई या तो उच्च न्यायालय (दिनांक 26 अगस्त, 2011 सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3892/2011) या संजय सिंह (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय के निर्देशों से भटक गई है। इसके अलावा, दुर्भावना की किसी भी अभिवाक की अनुपस्थिति और आयोग द्वारा 15 जनवरी, 2013 के संकल्प द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों का एक समान अनुप्रयोग, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाएगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग के लिए वर्तमान में उपयुक्त मामला नहीं होगा। उपरोक्त संकल्प में कारणों की अनुपस्थिति, जिस पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, अपने आप में इस तरह के हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहरा सकती है, जब निर्णय, सूक्ष्म परीक्षण पर, किसी भी घोर या प्रत्यक्ष अयुक्तियुक्तता का खुलासा नहीं करता है।

23. उपरोक्त निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि हमें अपीलों को खारिज

करना होगा। इसलिए, हम इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं कि क्या अपीलकर्ताओं के लिए चयनित उम्मीदवारों को वर्तमान कार्यवाही में पक्षकार के उत्तरदाताओं के रूप में शामिल करना आवश्यक था, एक ऐसा मुद्दा जिस पर विस्तृत तर्क दिए गए हैं और बार में कई मिसालें उद्धृत की गई। उन्हीं कारणों से किसी दिए गए मामले में राहत देने की अदालत की शक्ति पर, दोनों पक्षों द्वारा दिए गए वजनदार तर्कों पर अधिक उपयुक्त मामले में विचार की प्रतीक्षा करनी होगी।

24. परिणामस्वरूप और उपरोक्त के प्रकाश में, अपीलें खारिज की गई, हालांकि, खर्चे के संबंध में किसी भी आदेश के बिना सभी अंतरिम आदेश निरस्त किये जाते हैं।

देविका गुजराल अपीलें खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनोद कुमार (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकारों को उनकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है। इसे अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग में नही लिया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।